

डिक्री एवं मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 141/2025

- 1 गुरशरण सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ.
- 2 गुरविन्द्र सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ.

- वादीगण

बनाम

- 1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ




तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रति स. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 12 बी. जी.पी. खाता स. 106/93 खाता निर्मल सिंह वगैरा ज.स. 2073-76 में प्रति स. 1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र दरबारा सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः इसी मुताबिक प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.6.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया